न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 34/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS No : 2024/34

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री दीपक जैन पिता श्री गेंदालाल जैन, मैसर्स जैन नाश्ता सेन्टर ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस नियर वि मार्ट शास्त्री सर्कल स्थाई पता– 5 ई. बडी पीपली चौंक यूनिवर्सिटी रोड, गिर्वा उदयपुर मो. न. 9413609474

–विपक्षी

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वंय विपक्षी।

धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 28-06-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 21.07.2023 को 12.30 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स जैन नाश्ता सेन्टर ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस नियर वि मार्ट शास्त्री सर्कल उदयपुर पर पहूँचा, वहॉ विपक्षी श्री दीपक जैन उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स जैन नाश्ता सेन्टर ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस नियर वि मार्ट शास्त्री सर्कल उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता के रेस्टोरेन्ट पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार कर आम जनता को बिकी किया जाता है। पूछने पर विकेता ने बताया मैथी गोठा कढी के साथ आम जनता को बिकी किया जाता है। इसके सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

जनता को बिक्री वास्ते रखे ट्रे में 5 किलो मैथी गोठा में से 2 किलो मैथी गोठा खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फॉर्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा मैथी गोठा की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 600रु. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 2 किलो मैथी गोठा को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक की 4 साफ, सूखे व खाली जारों मे बराबर मात्रा मे भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक जार को कागज मे लपेटकर कागज के दोनो सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर नियमानुसार लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–2357** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/7773 दिनांक 8.08.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/627/एक्ट/2023/627 दिनांक 31.07.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना मैथी गोठा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पायी गई क्योंकि Butyrorefractomerter reading at 40°C extracted fat. 58.5- 68.0(ref.soyabean oil) होना चाहिए था, कि जगह 56.39% पाया गया। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/7772 दिनांक 8.08.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक मु.चि.अ./एफ.एस.एस.ए.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

/2024/2343 दिनांक 15.04.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका टर्नऑवर 12 लाख रूपये वार्षिक से अधिक है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह चौहान एवं श्री जगदीश प्रसाद सैनी दोनो दिनांक 21.7.2023 को मेरी दुकान पर आये थे, दोनो नें एक ही समय पर खाद्य पदार्थ का सेम्पल लिया। जिसमे श्री जगदीश प्रसाद सैनी ने कढी का सेम्पल एवं श्री नरेन्द्र सिंह चौहान ने मैथी गोटा का सेम्पल लिया। दोनो के द्वारा एक ही समय पर दोनो द्वारा एक साथ कार्यवाही जानबुझकर मुझे परेशान करने के उद्वेश्य से की गई है। दोनो के द्वारा पुर्ति कर कार्यवाही तो एक साथ कर दी लेकिन न्यायालय से तथ्य छुपाने के लिए दोनो ने अलग–अलग समय पर आप न्यायालय में प्रकरण पेश किया। श्री जगदीश प्रसाद द्वारा पहले परिवाद पेश किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2023 को प्र.स. 81/2023 से दर्ज किया गया। जिसमें मेरे द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई। आप न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2023 को निर्णय पारित कर मुझे भारी जुर्माना राशि 1,20,000 एक लाख बीस हजार से दण्डित किया गया। मुझ प्रार्थी को लगा कि दोनो प्रकरण साथ–साथ हुए है तो दोनो में जुर्माना लगाया होगा यह सोचकर मेरे द्वारा जुर्माना राशि डीडी नम्बर 289976 दिनांक 29.01.2024 से आप न्यायालय में जमा करा दिया गया। प्रकरण संख्या 81/2023 के निर्णय के लगभग 5 माह बाद यह दूसरा प्रकरण श्री नरेन्द्र सिंह चौहान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 34/2024 होकर दिनांक 23.05.2024 को दर्ज किया गया है। श्रीमान से निवेदन है कि मेरी दुकान पर मैं केवल चाय नाश्ता बनाकर लोगो को विक्रय करता हूं। पूर्व में ही मुझ प्रार्थी को न्यायालय द्वारा भारी जुर्माना से दण्डित किया गया जिसका सम्मान करते हुए मेंने बिना संकोच के जुर्माना जमा करा दिया। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मेरे साथ धोखा करते हुए दो सेम्पल लेकर परिवाद बनाकर अलग–अलग दिनांक को पेश करेंगे। यदि एक साथ प्रकरण पेश होते तो न्यायालय के समक्ष सारी स्थिति साफ हो जाती एवं मुझ प्रार्थी को बार बार न्यायालय में पेशीयां नहीं करनी पडती। एक ही दिन सेम्पल की कार्यवाही हुई है तो प्रकरण भी एक साथ पेश हो सकते थे, जब एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक दुकान से खाद्य का सेम्पल ले लिया तो दूसरे खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सेम्पल लेने के पीछे क्या उद्धेश्य रहा यह मुझे आज तक समझ नहीं आया। केवल मात्र परेशान करने की नियत से एवं बार बार कोर्ट के चक्कर लगवाने के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

उद्धेश्य से दो सेम्पल लेकर जानबुझकर अलग–अलग समय में परिवादों को पेश किया गया। माननीय से निवेदन है कि समान दिवस को जो सेम्पल लिये है उसके पश्चात से मेरे दुकान पर चाय नाश्ता की गुणवत्ता का ज्ञान रख रहा हूं एवं उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थो का उपयोग कर मेरे द्वारा नाश्ता बनाकर लोगो को विकय किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि एक ही दिवस को दोनो प्रकरणों में कार्यवाही हुई थी, न्यायालय के समक्ष मेंने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया एवं जुर्माना भी जमा करा दिया। एक ही दिन के अपराध के लिए दुबारा दण्ड दिया जाने से मुझ प्रार्थी को भारी मानसिक एवं आर्थिक क्षति होगी। माननीय न्यायालय से करबद्ध निवेदन करता हूं कि पूर्व में मुझे भारी जुर्माना 1,20,000/– एक लाख बीस हजार से दण्डित कर दिया गया है सो उक्त प्रकरण में समान दिवस को हुए अपराध को समान मानते हुए इस प्रकरण में मुझ प्रार्थी को माफ करते हुए कार्यवाही ड्रॉप कराने की कृपा करावे। मेरे द्वारा भविष्य में खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता का ध्यान रखा जावेगा। भविष्य में दोबारा गलती नहीं दोहरायी जावेगी।

प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में परिवाद के तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि। शिकायत प्राप्त होने पर हम दोनो खाद्य सुरक्षा अधिकारी एक ही राजकीय वाहन से विक्रेता की दुकान पर गये थे। दोनो के द्वारा अलग–अलग सेम्पल लिये जो कि नियमानुसार है। दोनो की सेम्पल फैल हो गये है। कार्य की अधिकता की वजह से प्रकरण तैयार नहीं हो पाया एवं वाद दायर करने की अनुमति प्राप्त होते ही वाद दायर कर दिया है। अतः प्रकरण में अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। आरोपी द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं पूर्व में भारी जुर्माने से दण्डित किया गया है। अतः इस प्रकरण में गलती को माफ करते हुए कार्यवाही ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण पर विक्रेता के रेस्टोरेन्ट पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार कर आम जनता को बिकी किया जाता है। पूछने पर विकेता ने बताया मैथी गोठा कढी के साथ आम जनता को बिकी किया जाता है। इसके सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे ट्रे में 5 किलो मैथी गोठा में से 2 किलो मैथी गोठा खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु नियमानुसार क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ कढी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पाया गया। **क्योंकि Butyrorefractomerter reading at 40°C extracted fat. 58.5-68.0(ref.soyabean oil) होना चाहिए था, कि जगह 56.39% पाया गया।**

हमने प्रकरण संख्या 81/2023 को तलब कर अवलोकन किया। उक्त प्रकरण दिनांक 27.12.2023 को स्वीकार कर आरोपी श्री दीपक जैन को 1,20,000/– रूपये के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। जिसका जुर्माना भी आरोपी द्वारा समय पर न्यायालय में जमा करा दिया गया है। चूंकि प्रकरण एक ही दिवस को सेम्पल लिया जाने से जांच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड पाये गये। अप्रार्थी/विकेता का तर्क है कि पूर्व में भारी जुर्माने से दण्डित किया गया है इसलिए इस मामले में उसे माफ किया जाकर उसके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप की जावे। जबकि दो अलग–अलग खाद्य पदार्थो के सेम्पल लिये गये, दोनो ही सबस्टैण्डर्ड पाये गये है, चूंकि पूर्व में भारी जुर्माने से दण्डित किया जा चुका है जिसका जुर्माना भी नियत समय में जमा करा दिया है एवं उस दिनांक के बाद कोई नया मामला नहीं आया है। आरोपी द्वारा खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता में सुधार किया जाना बताया है। अतः मामले को देखते हुए आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही तो ड्रॉप नहीं की जा सकती है परन्तु कम जुर्माने से दण्डित किया जाने पर विचार किया जा सकता है, जिससे भविष्य में खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता को लेकर आरोपी सजग रहे।

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹10,000/–रु अक्षरे रूपया दस हजार मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर'' के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)